संख्याः 1617 / VII-II-10 / 69–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 मई, 2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्यय अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः587 / उ0नि0(दो)–01 / आयोजनेत्तर / 2010–11 दिनांक 4.5.2010 तथा शासनादेश संख्याः 187 / XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्यय अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि कुल **रू0 33.90 लाख (रू0 तैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र)** निम्न विवरणानुसार, व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

कोड / मद का नाम	आवंटित बजट (रू0 हजार में)
04–यात्रा व्यय	500
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400
07–मानदेय	75
08–कार्यालय व्यय	400
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	250
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200
18–प्रकाशन	100
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	80
21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन	25
22–आथित्य व्यय विषयक भत्ता	10
25–लघु निर्माण कार्य	300
26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयत्र	100
29–अनुरक्षण	50
42–अन्य व्यय	150
45–अवकाश यात्रा व्यय	100
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	100
47–कम्प्यूटर, अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	250
कुल योगः	**3390**
	(रू0 तैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र)

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को

प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत करा दिया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अबन्धबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इ संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय करते समय यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों तथा उक्त के क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 03–अधिष्ठान व्यय–00 मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः156/XXVII(2)/2010 दिनांकः 25 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1617(1)/VII-II-10/69–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. उप निदेशक/नोडल अधिकारी बजट, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।